Armed Forces Personnel:

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be

Deputation/re-employment for

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

continued on re-employment.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum agelimit for appointment by deputation/ absorption shall be 'Not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. A-12018/11/2018-Lep.] GANESH KUMAR, Under Secy.

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2023

सा.का.नि. 197.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यटन विभाग, मुख्यालय स्थापना (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यटन मंत्रालय (मुख्यालय स्थापना) में किनष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यटन मंत्रालय, मुख्यालय स्थापना, कनिष्ठ सचिवालय सहायक भर्ती नियम, 2023 है।

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता** वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां, वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा
				अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कनिष्ठ सचिवालय	*19	साधारण केन्द्रीय सेवा,	स्तर – 2	अचयन
सहायक	(2023)	समूह 'ग' अराजपत्रित	(19900-63200 रु.)	
	*कार्यभार के आधार पर।	सचिवीय		

सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	
व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	के लिए विहित आयु और शैक्षिक	
		अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में	
		लागू होंगी या नहीं ।	
(6)	(7)	(8)	
18 से 27 वर्ष के बीच ।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से	जी हां ।	
(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता ।		
किए गए अनुदेशों या आदेशों	(ii) कौशल परीक्षा: कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में	(i) स्तंभ (7) के अधीन यथा	
के अनुसार सरकारी सेवकों के	टाइपिंग स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी	विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता ;	
लिए शिथिलनीय)।	में 30 शब्द प्रति मिनट ।	(ii) विभागीय परीक्षा के लिए	
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित	(प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन पर	स्तंभ (11) के अधीन यथा	
करने के लिए निर्णायक तारीख	10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के अनुरूप	विनिर्दिष्ट आयु ।	
वह होगी जो कर्मचारी चयन	35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)।		
आयोग द्वारा नियत की जाए ।	,		

परिवीक्षा की अवधि, यदि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति		
कोई हो ।	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा	द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां	
	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानी वाली	जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /	
	रिक्तियों की प्रतिशतता ।	आमेलन किया जाएगा ।	
(9)	(10)	(11)	
दो वर्ष ।	(i) 85% रिक्तियां कर्मचारी चयन आयोग	प्रोन्नति :-	
टिप्पण : विभाग द्वारा विहित	के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।	(i) 5% रिक्तियां ज्येष्ठता के आधार	
परिवीक्षा को सफलतापूर्वक	(ii) 5% रिक्तियां ज्येष्ठता के आधार पर	पर प्रोन्नति द्वारा वेतन स्तर 1	
पूरा करने के लिए कम से कम	प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी ।	(18000- 56900 रु.) में समूह	
दो सप्ताह की अवधि का	(iii) 10% रिक्तियां सीमित विभागीय	ग के उन कर्मचारियों में से भरी	
अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा ।	अर्हता परीक्षा द्वारा, जिसके न हो	जाएंगी जिन्होंने किसी	
	सकने पर प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी ।	मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा	
		विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा	
		उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्होंने	
		वेतन-स्तर 1 (18000- 56900	
		रु.) में तीन वर्ष की नियमित	
		सेवा की हो ।	
		(ii) 10% रिक्तियां विभागीय अर्हता	
		परीक्षा के आधार पर वेतन स्तर	
		1 (18000- 56900 रु.) में	
		समूह ग के उन कर्मचारियों में से	
		भरी जाएंगी जिन्होंने किसी	
		मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा	
		विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा	
		उत्तीर्ण की हो अथवा उसके	
		समकक्ष अर्हता रखते हों और	
		जिन्होंने वेतन स्तर 1 (18000-	
		56900 रु.) में तीन वर्ष की	
		नियमित सेवा की हो ।	
		टिप्पण 1 :- विभागीय परीक्षा के	
		लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-	
		सीमा पैंतालीस वर्ष है (अनुसूचित	
		जाति या अनुसूचित जनजाति के	
		लिए पचास वर्ष) ।	
		टिप्पण 2 :- यदि परीक्षा में खंड (ii)	
		के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या	
		से अधिक कर्मचारी उत्तीर्ण होते हैं तो	
		आगामी वर्षों में उत्पन्न होने वाली	
		रिक्तियों को भरने के लिए उन	
		अतिरिक्त कर्मचारियों के नाम पर	
		विचार किया जाएगा, जिससे हाल	
		की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कर्मचारियों	
		से पूर्व, पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण	
		कर्मचारियों पर विचार किया जाए।	
		टिप्पण 3 :- जहां प्रोन्नति हेतु अर्हता	
		अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके	
		कनिष्ठ कर्मचारियों पर विचार किया	

	जा रहा हो वहां वरिष्ठ कर्मचारियों
	पर भी विचार किया जाएगा यद्यपि
	उनकी अपेक्षित अर्हता अथवा पात्रता
	सेवा के आधे अथवा 2 वर्ष, जो भी
	कम हो, से अनधिक है और साथ ही
	उन्होंने ऐसी अर्हता अथवा पात्रता
	सेवा पहले ही पूरी कर चुके कनिष्ठ
	कर्मचारियों के साथ अगले उच्चतर
	श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी
	परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी
	कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)		(13)
विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि पर विचार करने के लिए) जिस् निम्नलिखित होंगे :-	गमें -	लागू नहीं होता है।
1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पर्यटन मंत्रालय	- अध्यक्ष;	
2. अवर सचिव (प्रशासन 1), पर्यटन मंत्रालय	- सदस्य;	
3. सहायक निदेशक (प्रशासन 1), पर्यटन मंत्रालय	- सदस्य;	
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए निम्नलिखित होंगे :-) जिसमें	
1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पर्यटन मंत्रालय	- अध्यक्ष;	
2. अवर सचिव (प्रशासन), पर्यटन मंत्रालय	- सदस्य;	
3. भारत सरकार के अन्य विभाग या मंत्रालय से संबंधित		
अवर सचिव	- सदस्य;	

[फा. सं. ए- 12018/1/2023-प्रशा.I]

राजेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi, the 6th December, 2023

- **G.S.R. 197.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Department of Tourism Headquarters Establishment (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Secretariat Assistant, in the Ministry of Tourism (Headquarters Establishment) namely: -
- 1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Ministry of Tourism, Headquarters Establishment, Júnior Secretariat Assistant, Recruitment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in pay matrix. The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4)of the Schedule annexed to these rules.
- **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc.-** The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns(5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- **4. Disqualification.** No person -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living. or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules respect to any class or category of persons.
- **Savings.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, Ex. Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
1.	2.	3.	4.
Junior Secretariat Assistant.	*19 (2023). *Dependent on work load.	General Central Service. Group "C" Non-Gazetted, Ministerial	Level 2 (Rs. 19900-63200) In the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
5.	6.	7.
Non -selection	Between 18 to 27 years of age. (Relaxable for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the central Government).	 (i) 12th class pass or equivalent qualification from a recognized Board or University. (ii) Skill test:- A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer.
	Note. The Crucial date for determining the age limit shall be as fixed by Staff Selection Commission.	(35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8.	9.	10.
Yes	Two years.	(i) 85% of vacancies by direct recruitment
(i) educational	Note. Successful completion of	through Staff Selection Commission.
qualification as specified	mandatory induction Training of	(ii) 5% of vacancies through promotion. on
under column (7).	at least two weeks is a per-	the basis of seniority.
(ii) age for departmental	requisite for completion of	(iii) 10% of vacancies shall be filled on
examination as specified	probation.	basis of limited Departmental Qualifying
under column (11).	•	examination, failing which by promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11.	12.	13.
Promotion:- (i) 5% of the vacancies shall be filled by	Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Not applicable.

promotion on the basis of seniority from amongst the Group C Staff in pay level 1, (Rs18000-56900) in the pay matrix, who possess 12th or equivalent qualification from a recognized Board or University and have rendered three years regular service in the pay level 1(Rs18000-56900) in the pay matrix.

(ii) 10% of vacancies shall be filled on basis of limited departmental qualifying examination from ,amongst the Group C Staff in the Pay level 1 (Rs 18000-56900) in the pay matrix, who possess 12th or equivalent qualification from a recognized Board or University and have rendered three years regular service in pay level 1, (Rs 18000-56900) in the pay matrix.

Note1:-The maximum age-limit for eligibility for departmental examination is forty- five (fifty years of age for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes).

Note 2:-If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualify at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employee qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

Note 3:-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

- 1. Director or Deputy Secretary (Administration) Ministry of Tourism Chairperson;
- 2. Under Secretary (Administration 1) Ministry of Tourism Member;
- 3. Assistant Director (Administration I) Ministry of Tourism Member;

Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of:-

1 Director or Deputy Secretary (Administration)

Ministry of Tourism - Chairperson;

- 2. Under Secretary (Administration 1) Ministry of Tourism - Member;
- Under Secretary belonging to another Ministry or Department, Government of India - Member.

[F. No. A-12018/1/2023-Admin.I] RAJESH KUMAR, Under Secy.